पत्रांक– 17 – वि० स०बं०प्र – मानचित्रीय – 08 /2018–725

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

फैक्स / ई–मेल

सभी समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
सभी अपर समाहर्त्ता,
सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 26/4/2018

विषय :– भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया को संचालित किये जाने के उद्देश्य से एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से प्राप्त भू–मानचित्रों का कैडस्ट्रल/रिविजनल सर्वे से संबंधित भू–मानचित्रों के साथ सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि वर्तमान में राज्य के 13 जिलों यथा– नालन्दा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एवं कटिहार में भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्राथमिकता के आधार पर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जा रहा है। उक्त प्रयोजनार्थ उक्त सभी जिलों का एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से मौजावार भू–नक्शा संबंधित ऐजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एंव बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–6 एवं नियमावली, 2012 के नियम–7 में यह प्रावधान अंकित किया गया है कि किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार का क्रियान्वयन आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से धरातल मानचित्रण, भू–खंडो के साथ राजस्व ग्राम का सीमांकन तथा स्थल सत्यापन द्वारा किया जाएगा। विभिन्न जिलों में एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये भू–मानचित्रों का सत्यापन कैडस्ट्रल सर्वे/रिविजनल सर्वे के भू–मानचित्रों के माध्यम से किये जाने पर Gap एवं Overlap की समस्यां प्रतिवेदित है। उल्लेखनीय है कि कैडस्ट्रल सर्वे/रिविजनल सर्वे का कार्य जरीव से जमीन की मापी किये जाने के आधार पर सम्पादित किया गया, जबकि वर्तमान में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य एरियल फोटोग्राफी से प्राप्त भू–मानचित्रों के आधार पर किया जा रहा है। कैडस्ट्रल सर्वे/रिविजनल सर्वे के दौरान जमीन के मापी जरीव से किये जाने के कारण 20 (बीस) कड़ी तक के Error को समानुपातिक रूप से वितरित किये जाने के सिद्धांत के आधार पर क्षान्त किया गया था। चूंकि वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से

किया जा रहा है, साथ ही सरजमीन का वास्तविक मापी ETS/GPS की मदद से किया जा रहा है/प्रस्तावित है, जिसके कारण किसी प्रकार का Error मापी में सम्भावित नहीं है अर्थात् किसी भी मापी में 20 cm से अधिक का अन्तर मान्य नहीं होगा।

उपर्युक्त के आलोक में दो आसन्न राजस्व मौजों के मध्य शांतिपूर्ण दखल–कब्जा के साथ जो भी प्राकृतिक विभाजन यथा–मेढ़, नाला, सड़क, नदी इत्यादित वर्तमान में उपलब्ध है, को वर्तमान संदर्भ में मौजा का सीमा माना जाय, अर्थात वर्तमान में सरजमीनी हकीकत के अनुरूप ही मानचित्र की मौजा सीमा का निर्धारण किया जाय। जिन मामलों में वर्तमान सरजमीनी स्थिति एवं कैडस्ट्रल सर्वे भू–नक्शा/रिविजनल सर्वे भू–नक्शा में विवाद की स्थिति हो, तो वैसी स्थिति में स्थल सत्यापन एवं जांच से संतुष्ट होने के उपरान्त राजस्व मौजा के सीमा का निर्धारण किया जाय। इस प्रकार से सत्यापित मौजा के भू–मानचित्र के शत्प्रतिशत भू–खण्डों का सत्यापन अमीन के माध्यम से कानूनगो/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जाय। साथ ही कानूनगो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी Random रूप से कुछ भू–खण्डों की जांच स्वयं भी करेंगे।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त से संबंधित किस्तवार प्रक्रम के दौरान एरियल फोटोग्राफी से प्राप्त भू–मानचित्रों का सत्यापन सरजमीनी स्थिति के आलोक में करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

20/4/18

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।